सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

o. 13

अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा गया, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/12/17 को पेश हो।

13.12.17 पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित। अपीलार्थी का इनके वकील अनुपस्थित।

वकील रेस्पोंडेंट की अपील के ग्राह्य होने के बिंदु पर एतराजात सुने गए। वकील रेस्पोंडेंट की मुख्य एतराज है कि अपील मीयाद के बाद अधीनस्थ न्यायालय के जिस निर्णय/डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है जबकि नियमानुसार रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रावधानानुसार इसका होना आवश्यक है। वकील रेस्पोंडेंट का दूसरा एतराज यह है कि मूल अपील मीयाद में मिसल म्यूटेशन नं० 57 के विरुद्ध अपील दायर करना बताया है उसमें बाद में संशोधन हेतु जो अनेक अपीलार्थी ने दि. 8/3/17 को पेश किया उसमें नामांतरकरण सं० 247 दर्ज करने के आदेश के लिए निवेदन किया है परन्तु नामांतरकरण सं० 247 की अपील का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6-11-15 को किया जा चुका है लिहाजा इसकी पुनः अपील इस न्यायालय में नहीं की जा सकती। वकील रेस्पोंडेंट के उक्त दोनों एतराजात पत्रावली के अवलोकन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में सही पाये हैं।

पत्रावली का अभिलेख सहित अवलोकन किया। नामांतरकरण सं० 247 (दि. 31-5-11) की अपील सं० 50/14 न्यायालय हाजा द्वारा अनवर साहबराम बनाम बनवारीलाल पुत्र श्री नंदराम एवं अन्य में दिनांक 6-11-15 को निर्णीत होकर पाई गई। इस निर्णय की सत्यप्रति अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हुई। वकील रेस्पोंडेंट की नजीर RRD 1997 Page 814 शंकरलाल व अन्य बनाम उम्मेदसिंह व अन्य के आलोक में अपील प्रस्तुति के लिए आवश्यक/वांछित दस्तावेजात के अभाव में अपील मेंटेनेबल नहीं है लिहाजा इसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता। नामां० सं० 247 के संबंध में निर्णय पूर्व में हो चुका है परन्तु इस समय अपील में पक्षकार पूर्व के समान नहीं है और इसलिए इनका अपील का अधिकार सुरक्षित रखते हुए इस अपील को मेंटेनेबल नहीं होने के कारण यहीं स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैवाल शुमार होकर नियमानुसार निर्णय की इन्द्राज हो।

[illegible]